(कार्यादेश)

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मेसर्स बृजेश कुमार सिंह,
81/1 सर्वोदय नगर, अल्लापुर,
इलाहाबाद।

पत्रांक– 06/अधि0अभि0/वि0प्रा0/2016 दिनांकः मई 07, 2016

विषयः– सरस विहार आवास योजना, झूँसी, इलाहाबाद में 64 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण कार्य।

महोदय,

उपरोक्त कार्य की निविदा धनांक रू0 2,35,93,264.12 की स्वीकृति आपके पक्ष में सर्व निम्न होने के कारण उपाध्यक्ष द्वारा दिनाँक 03–05–2016 को प्रदान कर दी गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा धनांक का 05% जमानत धनराशि रु0 13,80,000.00 N.S.C./F.D.R/C.D.R./ Cash, के रूप में जमा करा दें। अवशेष जमानत धनराशि आपके बिल से 05% की दर से काटी जायेगी। शासनादेश संख्या–102286–355/स्टाम्प/73 एवं दिनांक 12–06–2006 आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुसार रु0 110.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करायें।

यदि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./F.D.R/C.D.R./Cash, के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम 1996 सपठित उ0प्र0 नियमावली–2009 के अनुसार रु0 10.00 लाख से अधिक के कार्य पर श्रमिक पंजीकरण प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निम्न उपबन्धो का भी अनुपालन किया जाय।

1. ठेकेदार को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
2. ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
3. ठेकेदार को भारत सरकार द्वारा आरोपित सेवाकर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा।
4. ठेकेदार को न्यूनतम् वेतन अधिनियम 1952 प्राविडेन्ट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान करना होगा।
5. शेष कटौतियाँ उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

कार्य प्रारम्भ की तिथि– 15/05/16
कार्य समाप्ति की तिथि– 14/04/17

(आर0के0राय)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि–

1. सचिव महोदया को सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
4. उपश्रमायुक्त, 9 म्योर रोड, इलाहाबाद को सूचनार्थ।
5. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13/5/16

अधिशासी अभियन्ता